संख्या:52/2016/223/35-4-2016

प्रेषक ,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक:09 फरवरी,2016

विषय: वर्ष 2015-16 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत पुनरीक्षित स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इटावा में शासनादेश संख्या:1008/35-4-2014 दिनांक 14 अगस्त,2014 द्वारा राष्ट्रीय मार्ग संख्या-92(नया एन.एच.-719) बेवर-इटावा-ग्वालियर मार्ग के 18 कि.मी. भाग को दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य की लागत रू. 8672.07 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में रू. 3468.80 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। एतदद्वारा उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति को लागत रू. 11096.34 लाख पर पुनरीक्षित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 14 अगस्त,2014 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- सन्दर्भित शासनादेश के माध्यम से अवमुक्त धनराशि को प्रथम किश्त के रूप में आंकलित किया जायेगा।

3- परियोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, सड़क की लम्बाई एवं चौड़ाई मे परिवर्तन, क्रस्ट डिजाइन में परिवर्तन एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ स्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर शासन का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

4- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

5- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रमके अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

6- स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में नहीं रखी जायेगी।

7- कार्य की लागत में टाइम ओवर रन/ कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस संबंध में बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु भविष्य में पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

9- परियोजना में प्रस्तावित बाट आउट/प्रोपराइटरी श्रेणी के आइटम्स का क्रय तथा इन पर धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

10- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11- प्रश्नगत कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

12- पुनरीक्षित परियोजना में साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। अत: इस बिन्दु पर यदि आवश्यक हो तो भारत सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

13- जिलाधिकारी द्वारा यथा संशोधित/ स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-121/दस-2016 दिनांक 08 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:52/2016/223(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुखय मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त,कानपुर।
7- जिलाधिकारी, इटावा।
8- मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इटावा।
10-गार्ड फाईल।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, इटावा।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://upsamadesh.up.nic.in